न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
887/2022	14–07–2022	19.6.23

उनवान

01. हरिओम उम्र करीब 72 साल दत्तक पुत्र लीलाधर कौम महाजन निवासी टपूकडा तहसील टपूकडा जिला अलवर (राजस्थान)

——:: वादी

(ब ना मे)

01. पवन कुमार उम्र 48 साल पुत्र पन्नालाल
02. टोडरमल उम्र 64 साल पुत्र रामधन कौम महाजन निवासी टपूकडा तहसील टपूकडा जिला अलवर (राजस्थान)
03. राज. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार टपूकडा जिला अलवर (राजस्थान)

——:: प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक तकासमा मय दुरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 48, 49, 88, 89 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादी हरिओम ने यह वाद विरूद्व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 बाबत इश्तकरारहक, तकासमा मय इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88, 89 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण 1 व 2 एक ही मोरूसे आला की सन्ताने है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पूर्वजों का संयुक्त परिवार रहा है। संयुक्त परिवार के साझे में व्यापार व आयद खर्चा समस्त लेन देन रहा है संयुक्त आय से ही कृषि कार्य हेतु आराजी क्रय की गई है संयुक्त परिवार की आय से वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पिताओं ने ग्राम दागनहेडी तहसील टपूकडा में कृषि आराजी क्रय की गई। क्रय की गई आराजी विवरण निम्न प्रकार है –

आराजी वाके ग्राम दांगनहेडी के खसरा नम्बर 407/0.44 है0 का 1/2 भाग, 379/0.57 है0 का 31/57 भाग, 378/0.28 का 1/2 भाग, 397/0.09 है0, 401/0.25 है0, 403/0.48 है0, 377/0.43 है0 का 25/43 भाग, 381/0.65 का 42/65 भाग वादी हरिओम के पिता लीलाधर के नाम, खसरा नम्बर 382/1.08 है0, 386/0.38 है0, 390/0.38 है0 398/0.23 है0 399/0.35 है0, 400/0.20 है0, 404/0.42 है0, 392/0.61 है0 का 41/61 भाग, 402/0.30 है0 का 1/2 भाग, 383/0.47 है0 का 9/47 भाग, 391/0.44 है0, 379/0.57 है0 का 26/57 भाग, 378/0.28 है0 का 1/2 भाग, 377/0.43 है0 का 18/43 भाग, 381/0.65 का 23/65 भाग प्रतिवादी नम्बर 1 पवन कुमार के पिता पन्नालाल के नाम तथा खसरा नम्बर 380/0.79 है0, 395/0.31 है0, 392/0.61 है0 का 21/61 भाग, 402/0.30 का 1/2 भाग 384/0.45 है0, 394/0.21 है0, 396/0.32 है0, 409/0.36 है0, 383/0.47 है0 का 38/47 भाग प्रतिवादी संख्या 2 टोडरमल के पिता रामधन के नाम से खरीद दारान का स्वर्गवास होने के बाद वर्तमान में वादी व

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज०

संख्या 1 व 2 के नाम से जानते हो रहा है। उक्त समस्त आराजीयात पक्षकारान के संयुक्त कब्जे काश्तकारी की है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने बाहमी तौर पर समझोता कर आराजी को पूर्व में तकसीम कर काबिज हो गये और मौका के अनुसार वादी हरिओम के पास खसरा नम्बर 391/0.44 है0, 0.81 है0, 397/0.09 है0, 398/0.23 है0, 399/0.35 है0, 400/0.20 है0, 401/0.25 है0, 402/0. है0 है। प्रतिवादी संख्या 1 पवन कुमार के पास आराजी खसरा नम्बर 377/0.43 है0, 378/0.28 है0, 2/1.08 है0, 383/0.47 है0, 384/0.45 है0, 403/0.48 है0, 404/0.42 है0 है। प्रतिवादी संख्या 2 टोडरमल के पास आराजी खसरा नम्बर 379/0.57 है0, 380/0.79 है0, 381/0.65 है0, 386/0.38 है0, 388/0.35 है0, 394/0.21 है0, 395/0.31 है0, 396/0.32 है0 पक्षकारान उपरोक्तानुसार काबिज काश्त है। वादी बाहमी तकासम्मा के आधार पर स्वयं के हिस्से में आये नम्बरान का स्वयं को खातेदारी काश्तकार घोषित कराकर राजस्व रिकार्ड में अपने नाम का अमल कराने का अधिकारी है। वादी ने प्रतिवादी नं0 1 व 2 को बाहमी तौर पर किये गये विभाजन के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल कराने को कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने दिनांक 28.06.2022 को कहा कि अदालत में कानूनी कार्यवाही करने को कहा। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के कब्जे काश्त की आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व इसी कदर राजस्व रिकार्ड में अमल फरमाया जावें। दावे के साथ सूचि अनुसार दस्तावेज संलग्न किये है। जिनमें आराजीयात की हाल जमाबन्दीयात पेश की है।

वादी द्वारा दावा प्रस्तुत किये जाने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया जाकर उन्हे अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने का अवसर प्रदान किया गया।

प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने अपना जवाब दावा पेश किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के जिम्मन संख्या 1 लगायत 12 में किये गये कथनों को स्वीकार किया है एवं वाद वादी में चाहे गये अनुतोष अनुसार वाद को डिक्री किया जाकर पृथक पृथक खाता कायम किये जाने में अपनी पूर्व सहमति दी है। पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति बाबत एक शपथ पत्र तादादी 100रू के स्टाम्प पर है को भी पेश किया है। प्रतिवादी नम्बर 3 राज्य सरकार जरिये भूनिधारी तहसीलदार टपूकडा के अपना जवाब पेश कर दिया है जो शामिल पत्रावली है। वाद विभाजन का होने से राज. सरकार को कानूनी पक्षकार बनाया गया है।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में दिये गये तथ्यों को प्रतिवादी 1 व 2 ने स्वीकार किया है। अतः प्रकरण में अन्य किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया व आपसी सहमति का शपथ पत्र पेश किया। यह निर्विवाद है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एक ही खानदान से संबंध रखते है वादी हरिओम के पिता लीलाधर, प्रतिवादी नम्बर 1 पवन कुमार के पिता पन्नालाल तथा प्रतिवादी नम्बर 3 टोडरमल के पिता रामधन तीनों सगे भाई थे जो फतेहचन्द के पुत्रान थे वादी व प्रतिवादी नं0 1 व 2 के पिताओं द्वारा शामलात कारोबार 1 व्यापार करते हुए वाद में विवादित आराजीयात का क्रय किया है तथा क्रेताओं से ये आराजी विरासतन वादी व प्रतिवादी नं0 1 व 2 के नाम आई है। मौके पर आराजी का बाहमी बंटवारा के अनुसार पक्षकारान अपने अपने हिस्सों पर काबिज काश्त है। इन सभी तथ्यों को प्रतिवादीगण द्वारा अक्षरशः स्वीकार किया है इस प्रकार दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज०

प्रस्तुत वाद में धारा 48, 49, 88, 89 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आराजीयात के समा का अनुतोष भी चाहा गया है। यहां यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि धारा 53 राजस्थान श्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत दावों में प्राय प्रारम्भिक डिक्री पारित की जाकर क्षेत्र के हसीलदार बंटवारा प्रस्ताव (कुर्रे कायमी रिपोर्ट) तलब किये जाते है तत्पश्चात अन्तिम डिक्री पारित की जाती है। संभवत इस वाद में भी यही प्रकिया अपनाई जाती परन्तु वाद में विवादित आराजीयात के किसी भी खसरा नम्बर का कोई विभाजन प्रस्तावित नहीं है। पक्षकारान पूरे पूरे खसरा नम्बरों पर काबिज काश्त है। इस बाबत पक्षकारान सहमत है कोई विवाद नहीं है। अतः इस वाद में न तो प्रारम्भिक डिक्री पारित किये जाने की आवश्यकता है और ना ही कुर्रे रिपोर्ट तलब किये जाने की आवश्यकता है। वाद में फाइनल डिक्री पारित किया जाना उचित है।

अतः दावा वादी पक्षकारान के मध्य सहमति के आधार पर फाइनल डिक्री किया जाता है एवं वादी हरिओम दत्तक पुत्र लीलाधर जाति महाजन नि0 टपूकडा को ग्राम दांनगहेडी की आराजी खसरा नम्बर 391/0.44 है0, 392/0.61 है0, 397/0.09 है0, 398/0.23 है0, 399/0.35 है0, 400/0.20 है0, 401/0.25 है0, 402/0.30 है0, 409/0.36 है0 का, प्रतिवादी संख्या 1 पवन कुमार पुत्र पन्नालाल जाति महाजन निवासी टपूकडा को आराजी खसरा नम्बर 377/0.43 है0, 378/0.28 है0, 382/1.08 है0, 383/0.47 है0, 384/0.45 है0, 403/0.48 है0, 404/0.42 है0 का तथा प्रतिवादी संख्या 2 टोडरमल पुत्र रामधन महाजन निवासी टपूकडा को आराजी खसरा नम्बर 379/0.57 है0, 380/0.79 है0, 381/0.65 है0, 386/0.38 है0, 390/0.38 है0, 394/0.21 है0, 395/0.31 है0, 396/0.32 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तहसीलदार टपूकडा को राजस्व रिकार्ड हाल ग्राम दागनहेडी में अमल किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
887 / 2022	14–07–2022	19.6.23

उनवान

01. हरिओम उम्र करीब 72 साल दत्तक पुत्र लीलाधर कौम महाजन निवासी टपूकडा तहसील टपूकडा जिला अलवर (राजस्थान)

——:: वादी

(ब ना म)

01. पवन कुमार उम्र 48 साल पुत्र पन्नालाल
02. टोडरमल उम्र 64 साल पुत्र रामधन कौम महाजन निवासी टपूकडा तहसील टपूकडा जिला अलवर (राजस्थान)
03. राज. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार टपूकडा जिला अलवर (राजस्थान)

——:: प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक तकासमा मय दुरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 48, 49, 88, 89 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

दावा वादी पक्षकारान के मध्य सहमति के आधार पर फाइनल डिक्री किया जाता है एवं वादी हरिओम दत्तक पुत्र लीलाधर जाति महाजन नि0 टपूकडा को ग्राम दांनगहेडी की आराजी खसरा नम्बर 391 / 0.44 है0, 392 / 0.61 है0, 397 / 0.09 है0, 398 / 0.23 है0, 399 / 0.35 है0, 400 / 0.20 है0, 401 / 0.25 है0, 402 / 0.30 है0, 409 / 0.36 है0 का, प्रतिवादी संख्या 1 पवन कुमार पुत्र पन्नालाल जाति महाजन निवासी टपूकडा को आराजी खसरा नम्बर 377 / 0.43 है0, 378 / 0.28 है0, 382 / 1.08 है0, 383 / 0.47 है0, 384 / 0.45 है0, 403 / 0.48 है0, 404 / 0.42 है0 का तथा प्रतिवादी संख्या 2 टोडरमल पुत्र रामधन महाजन निवासी टपूकडा को आराजी खसरा नम्बर 379 / 0.57 है0, 380 / 0.79 है0, 381 / 0.65 है0, 386 / 0.38 है0, 390 / 0.38 है0, 394 / 0.21 है0, 395 / 0.31 है0, 396 / 0.32 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तहसीलदार टपूकडा को राजस्व रिकार्ड हाल ग्राम दागनहेडी में अमल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज०